ADB

# सूचना पत्र

नवंबर 2020

# एडीबी की सुरक्षा नीति विवरण की समीक्षा और अपडेट के लिए पृष्ठभूमि सूचना पत्र

यह दस्तावेज़ एडीबी की सूचना नीति तक पहुँच के अनुसार जनता के लिए प्रकट किया जा रहा है।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी)

**एडीबी की सुरक्षा नीति विवरण  की समीक्षा और अपडेट के लिए पृष्ठभूमि सूचना पत्र**

**दिनांक: 26 नवंबर 2020**
**(एडीबी बोर्ड में प्रस्तुत अक्टूबर संस्करण को अपडेट किया गया) सतत विकास और जलवायु परिवर्तन विभाग (सस्टेनेबल डिवल्पमेंट एंड क्लाइमेंट चेंज डिपार्टमेंट) द्वारा तैयार किया गया**

## I. परिचय

1. एशियाई विकास बैंक (एडीबी), अपने सुरक्षा नीति विवरण  (एसपीएस)[1] की व्यापक समीक्षा और अपडेट कर रहा है। नीति को एडीबी बोर्ड द्वारा जुलाई 2009 में अनुमोदित किया गया था और जनवरी 2010 से यह लागू है। एडीबी के स्वतंत्र मूल्यांकन विभाग के एस पी एस कारपोरेट मूल्यांकन द्वारा अपनाने के बाद एडीबी प्रबंधन ने अपडेट प्रक्रिया द्वारा सुरक्षा नीति विवरण का एक कॉर्पोरेट मूल्यांकन, स्वतंत्र मूल्यांकन विभाग (आईईडी) द्वारा मई 2020[2] में पूरा किया गया। इस पत्र में विचारणीय मुद्दों की समग्र व्यापकता पर पृष्ठभूमि की जानकारी, हितधारकों के प्रबंध और अपडेट समय सीमा और पद्धति की रूपरेखा स्पष्ट की गई है।

## II. औचित्य

2. स्वतंत्र मूल्यांकन विभाग (आईईडी) ने मूल्यांकन करते हुए सलाह दी कि एडीबी : (i) नीति का आधुनिकीकरण करें, एडीबी तथा अन्य बहु-पार्श्व वित्तीय संस्थानों (एमएफआई) द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कार्यान्वयन के अनुभव और हाल के अपडेट की सूचना देते हुए; (ii) उधार लेने की प्रणाली को मजबूत करने के लिए स्वदेशी प्रणालियों में सुधार और व्यावहारिक नीति का उपयोग करके एक नया तरीका अपनाने; (iii) एक अपडेटिड निरीक्षण - ढांचा और रिपोर्टिंग तंत्र के साथ एक नया सुरक्षा उपाय कार्यान्वयन ढांचा शुरू करने; (iv) पर्याप्त विस्तृत नीति मार्गदर्शन और कारगर प्रचलित उपायों के साथ सुरक्षा नीति उपायों और कार्यान्वयन ढांचे को ध्यान में रखने; और (v) सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए जरूरी पूरक स्टाफिंग और कौशल का आकलन करने की सिफारिश की है। एडीबी प्रबंधन ने स्वतंत्र मूल्यांकन विभाग (आईईडी) की सिफारिशों को मान  लिया है और सितंबर 2020 से सितंबर 2022 तक 2 साल की अवधि में अपडेट नीति तैयार कर लेगा।

3. 2009 में पहली बार जब सुरक्षा नीति विवरण को मंजूरी मिली थी, तब सुरक्षा नीति विवरण को व्यापक रूप से प्रगतिशील नीति के रूप में सराहना मिली और नीति के मूल तत्वों और पर्यावरण की मूल्यांकन प्रक्रियाओं, अस्वैच्छिक पुनर्वास और स्वदेशी लोगों व अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों की परिपाटी के अनुरूप सर्वथा प्रासंगिक माना गया था। पिछले 5 सालों  में बहुत से बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों और द्वि-पार्श्विक हिस्सेदारों ने अपनी सुरक्षा नीति रूपरेखाओं को अपडेट किया है,[3]  हालांकि ये रूपरेखाएँ मुख्य पर्यावरणीय और सामाजिक नीति सिद्धांतों के अनुरूप हैं, कुछ ने हितधारक सहभागिता, श्रम और कार्यक्षेत्र, सांस्कृतिक थाती, प्राथमिक आपूर्ति श्रृंखला तथा जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों के दायरे में विस्तार किया है। विकलांगता, यौन शोषण, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न (एसईएएच) और यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान (एसओजीआई) जैसे मुद्दों पर भी सुरक्षा के दायरे के भीतर और उसके बाहर अधिक विशिष्ट रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

---

[1] ADB. 2009. Safeguards Policy Statement. Manila. https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement

[2] Independent Evaluation Department. 2020. *Evaluation Document: Effectiveness of the 2009 Safeguard Policy Statement*. ADB: Manila. https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement।
https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement

[3] African Development Bank: Integrated Safeguards Systems (2013); EBRD: Environment and Social Policy (2014/2019); Equator Principles Financial Institutions (2019); IDB: Environment and Social Policy Framework (September 2020); IFC: Policy and Performance Standards (2012); World Bank: Environment and Social Framework (2018).

एडीबी ने मौजूदा नीतियों और कार्यनीतियों[4] जिसमें एडीबी की कार्यनीति 2030[5] भी शामिल है, के जरिए इन मुद्दों का पूर्णत: या आंशिक रूप से समाधान किया है। तथापि, ये दीर्घकालिक विकास उद्देश्यों और आकांक्षात्मक लक्ष्यों के साथ जोखिम प्रबंधन उपायों को कवर करते हैं, इसलिए सुरक्षा उपायों के साथ इन संबंधों पर अधिक सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। इसकेअलावा, अपडेट किए गए एमएफआई सुरक्षा ढांचे में अलग-अलग कार्यान्वयन व्यवस्था और वितरण प्रक्रियाएं हैं, जिन पर दक्षता, प्रभावशीलता और परिणाम वितरण के इष्टतम मिलान के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है।

4. अपडेट करने से बदलते हुए विकास के संदर्भों में, अन्य नीतिगत सिद्धांतों और अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों (एमएफआई) के मानकों के साथ सामंजस्य के अवसरों के रूप में अधिक से अधिक विकासशील सदस्य देश (डीएमसी) जुड़ेंगे और ग्राहकों की जरूरत और क्षमता का विकास होगा जिससे नीति का आधुनिकीकरण बढ़ेगा। इसके अलावा, अपडेट करते समय एडीबी उधारी व्यवस्था में प्रचलित भिन्न-भिन्न प्रथाओं एवं निजी क्षेत्र में वृद्धि पर ध्यान रखा जाएगा। इससे भी अधिक, लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों की जर्जर और विवादग्रस्त स्थितियों पर ध्यान देते हुए उनकी वर्तमान सुरक्षा नीति ढांचे पर विचार किया जाएगा। कुल मिलाकर सुरक्षा कार्यान्वयन को नीतिगत अपडेट के जरिए इस तरह से प्रभावी एवं कुशल बनाया जाएगा कि पर्यावरण और प्रभावित लोगों के लिए लाभकारी सुरक्षा परिणामों में वृद्धि हो।

## III. सुरक्षा नीति अपडेट का विस्तार

5. सुरक्षा नीति विवरण की समीक्षा और अपडेट नीति पिछले विषलेसात्मक अध्ययनों पर आधारित होगी जिसमें सुरक्षा नीति विवरण के तत्वों की पहचान की जाएगी। नीतिगत अपडेट में पारदर्शी परामर्शी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा जिसमें विभिन्न चरणों में हितधारकों की राय भी ली जाएगी। सुरक्षा नीति विवरण के स्वतंत्र मूल्यांकन विभाग (आईईडी) मूल्यांकन तत्वों के निष्कर्षों, एडीबी स्टाफ की सूचनाओं/तजुर्बों, संगत आंतरिक व बाह्य हितधारकों से बातचीत, जिसमें एडीबी ग्राहक, प्रभावित व्यक्ति, सिविल सोसाइटी संगठन (सीएसओ) व बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के हिस्सेदार भी होंगे, के आधार पर मजबूत की जाएगी। प्रत्येक नीति तत्व को संभावित विकल्प के गुण-दोष पर चर्चा पर आधारित अध्ययन करने का निर्णय लिया जाएगा। संशोधित नीति प्रावधानों और प्रक्रियाओं के बन जाने और सहमति होने पर, नीति को लागू और कार्यान्वित करने की योजना तैयार की जाएगी।

**पृष्ठभूमि अध्ययन**

6. **नीति संरचना ।** वर्तमान में एडीबी के पास एकछत्र सुरक्षा नीति विवरण है, जो नीति के दायरे और उद्देश्यों को निर्धारित करता है और पर्यावरण, अनैच्छिक पुनर्वास और स्थानीय लोगों को कवर करने वाले तीन अलग-अलग सुरक्षा क्षेत्रों के लिए नीति सिद्धांत और जरूरतें पूरी करता है। समीक्षा प्रक्रिया में वर्तमान में अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रयोग की जाने वाली विभिन्न सुरक्षा नीति संरचना का आकलन करने के लिए एक व्यापक अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में एडीबी वित्तपोषण को ध्यान में रखते हुए, एडीबी द्वारा अपनाए जाने वाली सुरक्षा संरचना के सर्वोत्तम संभव मॉडल के लिए सिफारिशें की जाएंगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के परफ़ार्मेंस मानकों का सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा, जो भू मध्येरेखीय मुख्य बैंकों[6] सहित एमएफआई के लिए बेंचमार्क मॉडल के रूप में तेजी से उपयोग या अपनाया गया है।

[4] Climate Change Operational Framework 2017–2030: Enhanced Actions for Low Greenhouse Gas Emissions and Climate-Resilient Development (2017); Energy Policy (2009); Incorporation of Social Dimensions in ADB Operations (2010); Policy on Gender and Development (2003)

[5] ADB. 2018. *Strategy 2030: Achieving a Prosperous, Inclusive, Resilient, and Sustainable Asia and the Pacific*. Manila.

[6] The Equator Principles (EPs) is a risk management framework, adopted by financial institutions, for determining, assessing and managing environmental and social risk in projects and is primarily intended to provide a minimum standard for due diligence and monitoring to support responsible risk decision-making.

इस मॉडल के नीति संरचना में : (i) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के संस्थागत संकल्पों को परिभाषित करने वाली पर्यावरण एवं सामाजिक स्व-प्रेरण की एकल नीति, और (ii) ग्राहक की पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिमों को परिभाषित करने वाले कार्यनिष्पादन मानक शामिल हैं।

7. **सुरक्षा वर्गीकरण।** सुरक्षा नीति विवरण (एसपीएस) मूलरूप से एक एकीकृत नीति के रूप में अभिप्रेत था हालांकि नीति वितरण प्रक्रिया में, यह तीनों सुरक्षा नीति पर प्रत्येक के लिए एक अलग वर्गीकरण प्रक्रिया का उपयोग करता है। पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव का आकलन भी आमतौर पर अलग-अलग प्रक्रियाएँ से किया जाता है, और जबकि एडीबी एकीकरण, मूल्यांकन को बढ़ा हुआ विचार दे रहा है, प्रक्रियाओं और प्रबंधन की योजना काफी हद तक विभाजित हैं । एक समय के बाद अन्य बहु वित्तीय संस्थान समग्र दृष्टिकोण पहुंच अपना चुके हैं जिसमें समन्वित वर्गीकरण मूल्यांकन और सामाजिक पर्यावरण के प्रबंध भी शामिल है। वर्तमान वर्गीकरण और मूल्यांकन पहुंच में इन बातों पर और मजबूती से विचार किया जाएगा।

8. **विषयगत और परस्पर विरोधी मुद्दे।** वर्तमान में एडीबी नीति और कार्यनीतियां विभिन्न तरह की हैं और परस्पर विरोधी मुद्दे गरीबी, लिंग, सामाजिक संरक्षण, और जलवायु परिवर्तन आदि शामिल हैं। कुल मिलाकर विकासशील सदस्य देशों के स्तर पर सतत विकास उद्देश्य और व्यापक विकास समर्थन पर ध्यान दिया जाना है। तथापि, सुरक्षा में कुछ जोखिम तत्व भी हैं जिन पर विचार होना है। विषयगत नीति और अन्य मुद्दों पर समीक्षा में विचार होगा जिस पर शोधित सुरक्षा नीति में समन्वय की संभावना के विस्तार पर विचार किया जाएगा। मुख्य विषय और कार्य परिस्थितियां, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत, प्राथमिक पूर्ति श्रृंखला जोखिम, सार्थक परामर्श, लिंग भेद एवं समावेशन, दुर्बल वर्ग के साथ व्यवहार, यौन शोषण और दुरुपयोग, हतोत्साहन, स्वदेशी जनों की समस्याएं, रोजगार के साधन जुटाना, हितधारक के अनुबंध, बायोडायवर्सिटी, ध्वनि प्रदूषण और कंपन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रदूषण नियंत्रण शामिल होंगे। इस समीक्षा में उन दीर्घकालिक उद्देश्यों, जिनका परियोजनाएं स्तर सुरक्षा के पहलुओं का देश स्तर पर समाधान किया जाना है, को सुस्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाएगा।

9. **देश सुरक्षा प्रणालियों (कंट्री सेफग्रार्ड सिस्टम्स)** के लिए नीति निर्देश। देश सुरक्षा प्रणाली के प्रयोग और उसकी मजबूती के लिए एडीबी द्वारा पिछले वर्षों में किए गए प्रयासों की प्रभावशीलता का इस समीक्षा में मूल्यांकन होगा। 2009 से एडीबी ने 50 मिलियन डॉलर की तकनीकि सहायता का अनुमोदन किया है जिनमें विकासशील सदस्य देशों को कानूनी और नीतिगत अंतराल का मूल्यांकन करने; उत्तम पद्धति मार्गदर्शन तैयार करने; क्षमता निर्माण करने; और क्षेत्रीय सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना शामिल हैं। तथापि, इस बात को स्वीकार किया जाता है कि देश सुरक्षा प्रणालियों (कंट्री सेफग्रार्ड सिस्टम्स) के प्रयोग को संभावित साधन के रूप में सुरक्षा नीति विवरण में शामिल किया गया था, जिसकी क्षमता सीमित थी। देश सुरक्षा प्रणालियों (कंट्री सेफग्रार्ड सिस्टम्स) के प्रयोग को लेकर मौजूदा नीतिगत अपेक्षा कि 'देश सुरक्षा प्रणालियों (कंट्री सेफग्रार्ड सिस्टम्स)' के उपयोग पर तभी विचार किया जा सकता है जब देश सुरक्षा प्रणालियां (कंट्री सेफग्रार्ड सिस्टम्स) सुरक्षा नीति विवरण के 'समतुल्य' हो और कार्यान्वयन क्षमता 'स्वीकार्य' हो, तभी इसे व्यवहार में लाना चुनौती रहा है। 2030 कार्यनीति के अनुरूप एडीबी देश सुरक्षा प्रणालियों (कंट्री सेफग्रार्ड सिस्टम्स) को समर्थन देता रहेगा। देश सुरक्षा प्रणालियों (कंट्री सेफग्रार्ड सिस्टम्स) की मजबूती में वृद्धि के लिए विकास साझेदारों के समुदाय के साथ समन्वय किया जाएगा। इस समीक्षा में देश सुरक्षा प्रणालियों (कंट्री सेफग्रार्ड सिस्टम्स) के प्रयोग के ऊपर अनुशंसा होंगी स्वीकार मूल्यांकन के समकक्ष वर्तमान पहुंच को पुनरीक्षित किया जाएगा।

10. **नए वित्तीय योजना और नए तौर-तरीकों के लिए सुरक्षा उपाय।** 2009 से, कुछ नए उधार के तौर-तरीके सामने आए हैं और अपने लचीलापन के कारण काफी लोकप्रिय रहे हैं। हाल ही में, सुरक्षा नीति विवरण में वित्तीय मध्यस्थों, साधारण कॉरपोरेट वित्त प्रबंधन, और निजी इक्विटी निवेश जैसे तौर-तरीकों के लिए सुरक्षा उपायों पर पर्याप्त स्पष्टता नहीं है। इसलिए शासीत प्रधान (सॉवरेन) और गैर-शासीत प्रधान (नॉन-सॉवरेन) वित्तपोषण के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा प्रावधान और परामर्श वित्तीय उपकरणों की श्रृंखला डिजाइन की जाएगी।

11. **सुरक्षा कार्यान्वयन और जवाबदेही अनुभवों से सीखे सबक।** पिछले 10 वर्षों से एडीबी ने अपनी परियोजनाओं में सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में काफी महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि इससे काफी अच्छा अनुभव भी रहा है पर जवाबदेही तंत्र प्रक्रिया से बहुत से सबक भी प्राप्त हुए हैं। 2010 से जवाबदेही तंत्र नीति के अंतर्गत समीक्षा अनुपालन के लिए 6 शिकायतें और विशेष सूत्रधार (फैसिलिटेटर) कार्यालय द्वारा सोलह शिकायतें अनुपालन समीक्षा कार्य हेतु पात्र पायी गई हैं।
2018 की संयुक्त शिक्षण रिपोर्ट[7] में इस बात पर बल दिया गया है कि कर्जदारों के साथ मिलकर एडीबी को कर्जदारों की साझेदारी में ऐसा परिशोधन सुधारित जोखिम मूल्यांकन और शिकायत तलाशी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो परियोजना स्तरपर हो जिससे परियोजना स्तर पर निवारण प्रणाली में और सार्थक परामर्श को मजबूत करना। प्रभावशीलता में सुधार के लिए जीआरएम (शिकायत निवारण तंत्र) की कार्यप्रणाली की परीक्षा के अध्ययन हेतु काम जारी है ।

12. **कर्जदारों की मांग और सुरक्षा प्रक्रियाएं।** विश्लेषणात्मक अनुशंसाओं और निष्कर्षों के आधार पर व्यापक कार्यान्वयन और प्रक्रियात्मक तत्वों के साथ मजबूत परिशोधित सुरक्षा नीति बनाई जाएगी जिसमें शोधित परियोजनाएं नियम-पुस्तकें कर्मचारियों के लिए निर्देश एवं तकनीकी परामर्श सामग्री का समावेश होगा।

13. **परिशोधित सुरक्षा नीति पत्र।** समीक्षा और विश्लेषणात्मक अध्ययन को मजबूती देते हुए हितधारकों के परामर्श फीडबैक और तकनीकी समूहों की अनुशंसाओं के आधार पर नीति पत्र बनाया जाएगा। प्राप्त फीडबैक के आधार पर इस ड्राफ्ट पेपर में परिशोधन किया जाएगा और बाह्य परामर्श के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस नीति पेपर में **(i)** सुरक्षा नीति उद्देश्य और सीमाएं **(ii)** व्यापक नीति मांग **(iii)** एडीबी सहित ऋण लेने वालों व ग्राहकों की जिम्मेदारियां और भूमिकाएं। ड्राफ्ट दिशानिर्देश नीति तैयार किया जाएगा और नीति प्रभावशीलता से पहले इसे अंतिम रूप दिया जाएगा ।

**14. सुरक्षा प्रावधानों के लिए वृहत ओवरसाइट फ्रेमवर्क।** संशोधित सुरक्षा नीति के लिए अपेक्षित सुरक्षा की निगरानी, संस्थागत व्यवस्थाओं, स्टाफिंग, स्रोतों पर अनुशंसा के आधार परसंस्थागत विश्लेषण कराया जाएगा। सुरक्षा प्रावधानों में अधिक सामंजस्य प्राप्त करने के लिए प्रचालन विभागों में नीति की व्याख्या, समस्या-समाधान, क्षमता निर्माण और रिपोर्टिंग लाइन के सरलीकरण के लिए विश्लेषण में सुदृढ सुरक्षा परिणामों में स्थिरता की अनुशंसाए होगी। परिशोधन सुरक्षानीति को साकार के लिए आवश्यक सक्षम स्टाफ का प्रस्ताव किया जाएगा। संस्थागत विश्लेषण में सुरक्षा स्टाफ के लिए अधिक कौशल संवर्धन का लक्ष्य रखा जाएगा।

15. **पॉलिसी रोल-आउट के लिए प्रारंभिक उपाय।** संशोधित नीति की विस्तृत आवश्यकताओं के आधार पर एक विस्तृत कार्यान्वयन योजना तैयार की जाएगी। योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे: **(i)** सामान्य जानकारी और जागरूकता बढ़ाने वाली सामग्री; **(ii)** नीति के सिद्धांतों और आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण सामग्री और ई-लर्निंग मॉड्यूल; **(iii)** विशिष्ट नीति कार्यान्वयन मुद्दों और मानकों पर तकनीकी मार्गदर्शन; और **(iv)** दीर्घकालिक क्षमता विकास योजना।एडीबी के साथ-साथ कर्जदारों और ग्राहकों के लिए रोल-आउट का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार किया जाएगा। एक ड्राफ्ट कार्यान्वयन योजना को अंतिम नीति पेपर के साथ विकसित किया जाएगा और इसे लागू करने से पहले अपडेट और अंतिम रूप दिया जाएगा।

## IV. हितधारी अनुबंध और संचार

16. डीएमसी और सीएसओ ने सभी प्रमुख एडीबी नीतियों की डिजाइन और समीक्षा में सक्रिय रूप से भाग लिया है। एडीबी की नीतिगत समीक्षा में विभिन्न दृष्टिकोण का समावेश करने के लिए डीएमसी और गैर-डीएमसी दोनों सहित परियोजना प्रभावित लोगों, सीएसओ (नागरिक समाज संगठन), सरकारी अधिकारियों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ हितधारक परामर्श किया जाएगा। हितधारक सहभागिता अनुबंध योजना का फोकस नागरिक समाज मुद्दों और क्षेत्र-हितों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करना और विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों को कवर करना होगा।

[7] 2018- A collaborative Report by the Office of the Special Project Facilitator (OSPF) and Office of the Compliance Review Panel (OCRP) of the Accountability Mechanism together with the Independent Evaluation Department (IED) and the Sustainable Development and Climate Change Department (SDCC).

17. सरल कार्यान्वयन के लिए एडीबी नीति की समीक्षा के लिए तीन चरणों वाली हितधारक अनुबंध योजना तैयार करेगा। पहले चरण में एडीबी समीक्षा, परामर्श और संचार योजना साझा करेगा, और परामर्श योजना पर चर्चा करने और उनकी मुख्य चिंताओं को समझने के लिए बाहरी परामर्श के पहले दौर का नेतृत्व करेगा। दूसरे चरण के दौरान, एडीबी हितधारकों के साथ विश्लेषणात्मक अध्ययन के निष्कर्षों और नीति संशोधन नीति पर इसके निहितार्थ पर चर्चा करेगा। अंतिम चरण में बकाया मुद्दों औरवर्किंग पेपर पर टिप्पणियां मांगकर और जरूरी सूचना एकत्र कर बकाया मुद्दों पर विचार करेगा। नीति समीक्षा और अपडेट पर व्यापक हितधारक परामर्श व निष्कर्षों का पालन करने की संभावना है। विविध हितधारकों के बीच नई नीति प्रावधानों पर आम सहमति बनने में बाधा हो सकती है लेकिन हितों से मेल मिलाप रखने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता होगी। एडीबी का सुरक्षा नीति विवरण , नीति समीक्षा और अपडेट प्रक्रिया के लिए www.adb.org पर अपनाएक समर्पित वेबपेज होगा। यह किसी भी समय नीति समीक्षा समयरेखा, परामर्श अनुसूची, परामर्शों का सारांश और डब्ल्यू-पेपर (जब उपलब्ध हो जाएगा) का खुलासा करेगा।

## V. कार्यान्वयन व्यवस्थाएं

18. एडीबी, सुरक्षा उपायों की सहायता से एसडीसीसी के माध्यम से नीति समीक्षा प्रक्रिया का संचालन करेगा। महानिदेशक, समवर्ती मुख्य अनुपालन अधिकारी, एसडीसीसी, विभागों के प्रासंगिक प्रमुखों की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय इंटरडिपार्टमेंटल संचालन समिति; निदेशक, एसडीएसएस की अध्यक्षता में एक लीड समन्वय समूह; एक सलाहकार उप-समूह, और तकनीकी कार्य समूहों द्वारा समर्थित विश्लेषणात्मक अध्ययनों की सलाह देने के लिए, स्वतंत्र मूल्यांकन विभाग, अनुपालन समीक्षा पैनल के कार्यालय और विशेष परियोजना सुविधा के कार्यालय सहित गैर-संचालन विभागों से उनके फीडबैक के लिए परामर्श लिया जाएगा। समीक्षा की कार्यान्वयन व्यवस्था सारणी 1 में दी है।

**सारणी 1: कार्यान्वयन व्यवस्थाएं**

| कार्यदल | नियम व जिम्मेदारियां |
|---|---|
| **अंत: विभागीय संचालन समिति** (ISC) – ओडी, एसडीसीसी,ओजीसी,एसपीडी,पीपईफड़ी और डीओसी के प्रमुख होंगे | आईएससी नीति अपडेट प्रक्रिया में संरक्षा देगी, प्रमुख समन्वय दल को सलाह देगी<br>आईएससी की वर्ष में दो बार बैठकें होंगी |
| **अग्रणी समन्वय दल** (LCG) – एसडीसएस,एनजीओसी, ओडी सुरक्षा मुख्य बिन्दु व ओजीसी (निदेशक एसडीसीसी की अध्यक्षता व एएसजी का सहयोग से) | एलसीजी एसपीएस अपडेट कार्य बढाएगी, तकनीकी कार्य दल को सलाह द पेपर व आर पेपर शुरू।<br>एलसीजी आईएससी को तिमाही अपडेट मुहैया कराएगा। |
| **तकनीकी कार्य दल** (TWGs) – विभिन्न विषयगत टापिक | तकनीकि कार्यदल (8 से 10 सं) विषयगत प्राप्त मुद्दों पर गहन चर्चा और उन पर सहमति निर्माण<br>तकनीकि कार्यदल नियमित रूप एलसीजी को अपडेट मुहैया कराएगा। |
| **सचिवालय** – एसडीएसएस दल के सदस्य व परामर्शदाता +एनजीओसी + डीओसी | एस पी एस को समन्वय व अपडेट सहयोग |

डीओसी = संचार विभाग, एचओडी =विभागाध्यक्ष, एनजीओसी=गैर-सरकारी संगठन एवं सिविल सोसायटी सेंटर, ओडी=प्रचालन विभाग, ओजीसी=ऑफिस ऑफ जनरल काउंसेल, पीपीएफडी=प्रापण, पोर्टफॉलियो तथा वित्त प्रबंधन विभाग, एसडीसीसी=सस्टेनेबल डिवल्पमेंट एंड क्लाइमेंट चेंज डिपार्टमेंट, एसडीएसएस=सुरक्षा प्रभाग, एसपीडी=कार्यनीति, नीति और भागीदारी विभाग।

19. नीति समीक्षा दो वर्ष में पूरी की जाएगी। सूचना के लिए सारणी 2 में संक्षेप में यह इंगित है

**सारणी 2: काम की प्रमुख बातें**

| क्रं | प्रमुख बातें | समय | बोर्ड कार्य | हितधारक से परामर्श |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | नीति समीक्षा की तैयारी व अपडेट शुरू | जून 2020 | | **परामर्श चरण 1 जून 2020 – मार्च 2021** |
| **2.** | नीति समीक्षा की प्रस्तावित पहुँच की तैयारी व अपडेट व प्रमुख प्रश्न | जून 2020 | **प्रथम अनौपचारिक बोर्ड सेमीनार** ( 31 **अगस्त** 2020 **पूर्ण )** नीति की समीक्षा पर विचार साझे करना, अपडेट व अन्य मुद्दे | |
| **3.** | प्रारंभिक परामर्श तथा हितधारक आउटरीच प्रारंभ किया गया | जून 2020 | | |
| **4.** | पृष्ठभूमि अध्ययन शुरू | सितम्बर 2020 | | **परामर्श चरण 2 अप्रैल- जुलाई 2021** |
| **5.** | हितधारी अनुबंध प्लान शुरू | दिसम्बर 2020 | | |
| **6.** | मुख्य विषलेसात्मक अध्ययन के निष्कर्षों पर परामर्श शुरू ड्राफ्ट नीति निर्देश | जनवरी 2021 | **बोर्ड के साथ गहन काम अप्रैल 2021** मुख्य विषलेष्णात्मक अध्ययन पर निष्कर्षों को साझा करना व ड्राफ्ट नीति चर्चा | |
| **7.** | परिशोधित नीति प्रावधानों व क्रिया पद्धति पर हितधारियों के साथ चर्चा | अगस्त 2021 नवम्बर 2021 | **द्वितीय अनौपचारिक बोर्ड सेमीनार अक्टूबर 2021** परिशोधित नीति प्रावधानों पर चरचा व साझा करना व ड्राफ्ट पेपर | **परामर्श चरण 3 अगस्त 2021 से आगे** |
| **8.** | तैयार ड्राफ्ट पेपर पर परामर्श | नवम्बर 2021 | **डब्ल्यू-पेपर पर बोर्ड मीटिंग**, **दिसंबर** 2021/ **जनवरी** 2022 | |
| **9.** | आर पएपेर का काम शुरू | जनवरी 2022 | | |
| **10.** | आर पेपर तैयार | अप्रैल 2022 | **आर पेपर पर बोर्ड मीटिंग**, **अगस्त / सितंबर 2022** | |

## VI. निष्कर्ष

20. संशोधित नीति के परिणामस्वरूप अधिक प्रभावी सुरक्षा उपायों को लागू करने, आधुनिक पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के साथ व्यापक व्याप्ति व सुधरी हुई कर्जदारों की क्षमता होगी। संशोधित नीति के परिणामस्वरूप सुरक्षा उपायों में सुधार होगा, लेकिन यह विभिन्न हितधारकों के हितों और बाधाओं के लिए कुछ चुनौतियों का सामना भी करा सकती है।

21. स्वतंत्र मूल्यांकनविभाग (आईईडी) समीक्षा और हितधारकों से प्रारंभिक प्रतिक्रिया की अनुशंसाओ से, यह स्पष्ट हो गया है कि एडीबी सुरक्षा उपायों की तुलना एमएफआई के सुरक्षा उपायों के साथ तुलना की जाए, इसकी जरूरत होगी। परामर्श प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान यह संभावना है कि नए प्रावधानों, कवरेज की गुंजाइश और प्रक्रियाओं के साथ संशोधित नीति परस्पर-विरोधी राय उभारेगी, जिससे आम सहमति बनना मुश्किल हो जाता है। यह समीक्षा इस पर बारीकी से नज़र रखेगी और इससे वर्तमान और विषयगत मुद्दों, विभिन्न चुनौतियों, को हल करने में सहायक होगी जिसे नीति विकल्पों के माध्यम से, जैसे: नीति प्रावधान और प्रक्रिया; या, बिना नीति के विकल्प जैसे: नीति संवाद, देश भागीदारी कार्यनीति पर चर्चा, और क्षेत्रीय तकनीकी सहयोग कार्य पूरा किया जाएगा। एडीबी सभी हितधारकों से गहन आंतरिक व बाह्य परामर्श करेगा ताकि परिशोधित नीति के स्कोप और प्रावधानों पर सुविचारित निर्णय लिए जा सके, हितधारकों जो कार्यनीति 2030 के उद्देश्यों और इसके कार्यान्वयन संबंधी विचारों के सही संतुलन में हों।

## परिशिष्ट 1
## सुरक्षा नीति की समीक्षा के लिए हितधारकों की सहभागिता तथा परामर्श

**1. पृष्ठभूमि।** विकासशील सदस्य देशों (**DMCs**), निजी क्षेत्र के ग्राहकों और नागरिक समाजिक संगठनों (**CSO**) की एडीबी की सभी मुख्य नीति में सक्रिय रूप से साझेदारी रही है। कार्यनीति **2030** एडीबी अपनी सभी नीतियों की समीक्षा में नागरिक समाज को अनुबंधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नीति एक बदलते संदर्भ को दर्शाए, और जिन लोगों को नीति प्रभावित करे उनकी जरूरत को भी पूरा करे, इसलिए नीति के प्रासंगिक रूप से आगे बढ़ते रहाना सुनिश्चित करने के लिए सभी के इनपुट पर विचार करना बेहद जरूरी है। एडीबी एक सार्थक और प्रभावी परामर्श योजना विकसित कर रहा है जो यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि एडीबी विशेष रूप से वैश्विक महामारी के उपयुक्त परामर्श दृष्टिकोणों का उपयोग करता है और मुख्य हितधारकों तक पहुंच है ।

2. हितधारकों की छोटे समूहों और बड़े क्षेत्रीय दलों के साथ आमने सामने बैठके करके परामर्श कार्य किया जाएगा। परामर्श में प्रभावित लोगों, सीएसओ, सरकारी अधिकारियों, डीएमसी और गैर-डीएमसी दोनो के प्रतिनिधियों , एडीबी कर्मचारियों, प्रबंधन और निदेशक मंडल के प्रतिनिधि व एम एफ आई तुलना करने वाले शामिल रहेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एडीबी नीति समीक्षा में विभिन्न दृष्टिकोणों की श्रृंखला पर विचार किया गया है। विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों को कवर करने वाले नागरिक मुद्दों और क्षेत्र-हितों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिक समाज, बुजुर्ग, युवा, विकलांग और यौन और लैंगिक अल्पसंख्यकों से परामर्श किया जाएगा। स्वदेशी लोगों सहित कमजोर समूहों को जो क्षेत्र में हाशिए पर आ गए हैं, से परामर्श किया जाएगा। एडीबी, प्रभावित समुदायों से समुदाय-आधारित संगठनों तक पहुंच बनाएगा ताकि उन्हें सुरक्षा नीति की समीक्षा प्रक्रिया के दौरान सार्थक तरीके से संलग्न कर सके। यह परिशिष्ट मुख्यत: बाह्य परामर्श प्रणाली पर केंद्रित है।

3. **तीन चरण।** एडीबी इस दृष्टिकोण के सुव्यवस्थित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नीति समीक्षा प्रक्रिया के लिए तीन-चरण की हितधारक अनुबंध योजना तैयार करेगा। सितंबर **2020** से शुरू होने वाले पहले चरण में, एडीबी सुरक्षा नीति की समीक्षा प्रक्रिया शुरू करेगा, परामर्श और संचार योजना साझा करेगा, और परामर्श योजना पर चर्चा करने के लिए बाहरी परामर्श का पहला दौर शुरू करेगा। प्रारंभिक चरण में हितधारकों द्वारा समीक्षा के दौरान ध्यान में आये मुद्दों, और नीति की समीक्षा के प्रमुख पहलुओं से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की पहचान करना उद्देश्य है। एडीबी को उम्मीद है कि महामारी की वजह से ये सभी परामर्श ऑनलाइन होंगे। एडीबी इन परामर्शों के लिए कई तकनीकों का उपयोग करने को उद्यत है। उदाहरण के लिए, कुछ मामलों में एडीबी समीक्षा नीति की सूचनाएं समय रेखा से साझा करना चाहे तब, एडीबी एक वेबिनार का उपयोग कर सकता है, जो ज्यादातर प्रतिभागियों के लिए साझेदारी ही होगी जिसमें शामिल लोग केवल प्रश्न पूछ सकेंगे। वैकल्पिक रूप से एडीबी समूह चर्चा के लिए टीम की बैठकों द्वारा वार्तालाप और भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

4. दूसरा चरण जनवरी 2021 में शुरू होगा, जिसके दौरान एडीबी अपनी तैयार की गई रिपोर्टों के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी को हितधारकों के साथ त्रिकोणित करेगा, जिसमें सुरक्षा नीति विवरण में बदलाव के लिए कई प्रस्तावित विकल्पों पर चर्चा होगी। एडीबी यह आशा करता है कि इस प्रकार के परामर्श व्यक्तिगत हों लेकिन ऐसा न हुआ तब वह परामर्श के उचित प्रकार अपनाने के लिए अन्य विकल्प तलाश करेगा ।

5. अंतिम चरण, जुलाई 2021 से, शेष प्रमुख मुद्दों और उन क्षेत्रों को देखेगा, जहां एडीबी को अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है और इसमें वर्किंग पेपर (डब्लू-पेपर) पर टिप्पणियां माँगना शामिल होगा । इस चरण में एडीबी को यह आशा है कि परामर्श दलों के साथ वार्तालाप लाभकारी रहेगा, लेकिन जनता के साथ व्यापक विचार-विमर्श इसमें शामिल नहीं होगा। तथापि, एडीबी अपनी वेबसाइट के माध्यम से टिप्पणियों को स्वीकार करना जारी रखेगा। तकनीकी सहायता सभी तीन चरणों में कम-प्रतिनिधित्व वाले हितधारकों, स्वतंत्र मददगार, संचार और बैठक खर्च व तीनों चरणों के दौरान चुनी हुई भाषाओ के दस्तावेज़ों की अनुवाद लागत को सहायता देगी । परामर्श सामग्री, साथ ही, प्रस्तुत करने का मतलब, और ADB की टिप्पणियाँ तथा प्रतिक्रियाएँ, सभी ADB वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।

6. **परामर्श पद्धति।** एडीबी की हितधारक परामर्श प्रक्रिया का निर्माण एडीबी की पिछली नीति की समीक्षाओं के साथ-साथ अन्य बहुपक्षीय अनुभव से भी एडीबी जिन्होंने हाल ही में अपनी सुरक्षा नीतियों की समीक्षा की है। अंतरराष्ट्रीय स्वस्थ पद्धतियां जिन को अपनाते हुए हाल में नीति समीक्षा किए गए उनका अनुसरण एडीबी करता है जिसमें मुख्यत: संकट काल की चुनौतियां हितधारकों के अनुबंध और परामर्श प्रक्रिया मुख्य रूप से होती है प्रत्येक हितकारी ग्रुप के लिए उपयुक्त परामर्श एडीबी बनाएगा। कुछ विचार जो सार्थक परामर्श के लिए नियोजन में शामिल होंगे निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा: यह सुनिश्चित करना कि परामर्श और उस प्रतिभागियों के लिए स्पष्ट उद्देश्य हैं एडीबी किस प्रकार की प्रतिक्रिया की मांग रहा है; विचार-विमर्श करने से पहले हित धारियों को पर्याप्त समय भी दिया जाएगा ताकि वह यात्रा आदि की तैयारी कर सकें;संगत पृष्ठभूमि सामग्री को भी उपयुक्त फॉर्मेट (भाषा, इलेक्ट्रॉनिक पेपर (आदि) में पहुंचा दिया जाएगा जिसमें परामर्श पद्धति (दिन के समय और शीर्षक आदि) के विभिन्न बिंदुओं का समावेश रहेगा। ताकि वे अपनी बात खुलकर कह सके और उनको चर्चा में समावेशित किया जा सके; परामर्श की पद्धति पर विचारजैसे कि पुरुषों और महिलाओं या केवल महिलाओं को शामिल करना उचित है,या आदर्श आकार क्या हैविषय, या दिन का समय अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करता है; स्वतंत्र सुविधा प्रदान करने वाले सभी आवाजें सुनी जाती हैं,परामर्श का नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए करने के लिए;घटना को उपयुक्त मानते हुए, यह नोट करना कि कुछ स्थितियों में प्रतिभागी गुमनाम रहने का अनुरोध कर सकते हैं; और प्रतिक्रिया साझा करना कि कैसे एडीबी ने परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त इनपुट का उपयोग किया। परामर्श कार्यप्रणाली आवश्यकतानुसार ऑनलाइन प्रारूपों के लिए अनुकूलित की जाएगी, और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को सम्मिलित करेगा। उन अवसरों से लाभान्वित होगा जो ऑनलाइन परामर्श और साथ ही साथ प्रस्तुत चुनौतियों को वहन करता है।

7. **वेब पेज।** एडीबी के www.adb.org से एक वेब पेज बनाया गया जो सुरक्षा नीति विवरण की नीति समीक्षा व अपडेट के लिए प्रतिबद्ध होगा। कार्यनीति 2030 की तैयारी के दौरान जो विस्तृत रूपरेखा का स्तर हुआ उसी के अनुरूप यह पेज होगा जिसमें नीति समीक्षा टाइमलाइन अनुसूची नीति के विशेष बिंदु पर किसी भी समय टिप्पणियां प्रस्तुत करने का परामर्श की सभी बिंदुओं का संक्षेप, और संभव हुआ तो डब्ल्यू पेपर भी इस पर उपलब्ध होगा। समीक्षा प्रक्रिया के दौरान एडीबी के टिप्पणी जवाब भी इस पर उपलब्ध होंगे।

8. **संचार।** संचार कार्यनीति के दो दायित्व हैं (i) हितधारियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एडीबी अनुबंध प्रक्रिया को प्रदर्शित करना (ii ) सुरक्षा नीति विवरण समीक्षा प्रक्रिया को व्यापक परिणामों को सूचित करना। हेतधारियों के अनुबंध प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए ग्राहकों के हितों पर आधारित सूचना पैकेज, सहभागिता होगी और इनको दूरदराज के आने का रुस्तम उपाय और पद्धति अपनाई जाएगी। हितधारियों को नीति समीक्षा की व्यापक जानकारी देने के लिए संचार व्यवस्था की जाएगी।

9. **प्रारंभिक परामर्श।** जून 2020 में एडीबी ने अपने एनजीओ फोरम से ग्रुप मॉनिटरिंग की परियोजनाओं पर विशेषकर मानक सुरक्षा नीतियों पर ऑनलाइन चर्चा की थी। एडीबी के एनजीओ फोरम ने इस बैठक का स्वागत किया था और नीति समीक्षा और समीक्षा में शामिल किए जाने वाले मुद्दों पर बात की। जुलाई 2020 में एडीबी ने अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ, जिसमें बैंक सूचना केंद्र अंतर्राष्ट्रीय लेखा परियोजनाओं एवं जेंडर एक्शन शामिल हैं, पर आगामी नीति समीक्षा के लिए एक दल की बैठक का आयोजन किया था।

10. **आगामी कदम।** एडीबी परामर्श विशेषज्ञों के एक दल को अनुबंधित करेगा जो हितधारक विश्लेषण और हितधारक परामर्शी योजना को अंतिम रूप देगा। यह कार्य दिसंबर 2020 में पूरा हो जाएगा। महामारी के कारण उच्च स्तरीय गतिशील कार्यपरिवेश को ध्यान में रखते हुए एडीबी अपनी हितधारक सहभागिता योजना में संशोधन करता रहेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा नीति अपडेट प्रक्रिया के बारे में हितधारकों से सार्थक जानकारी प्राप्त होती रहे और उसको कारगर ढंग से लागू किया जाए।